

FROM No.III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अदालत.....सहायक कलक्टर (SDO) बायल.....मुकाम.....

.....बनाम.....राधा राम वर्मा

किस्म मुकदमा.....नाच आर्डर.....नं.....350/19.....सन्.....2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/12/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>राधा राम वर्मा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>13/01/2020</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>राधा राम वर्मा</u> सहायक कलक्टर (SDO) बायल</p>	
13/1/2020	<p><u>प्रार्थी वकील उपर / विपार्थी</u></p> <p><u>के नोटिस वाले रजिस्टर्ड की</u></p> <p><u>कैसे गले जिकरी एडी क्राफ्ट,</u></p> <p><u>श्रीमान पीताम्बर साधुकारी द्वारा</u></p> <p><u>कार्गो में कलक्टर को ले</u></p> <p><u>पत्रावली आगामी पेशी दिनांक</u></p> <p><u>11/2/2020 को पेश हो।</u></p> <p style="text-align: center;">//</p>	



11/02/2020

बाद / 2020 / 7

गोिनाराम
निवासी

गार्डी बचल 390 / विजाधीगिग डे नोदिम
 म्मे में अरिसे राजीस्टर्ड एडी नैज गफ जिगकी
 नैज करीफ एक पाए से फाधिकु समय में अका
 है। विजाधीगिग डी भोरे से शर्वे भाधिकेवका भा
 ह्वम कोई अनुपाहिते रहते से एडलका
 नामविही काल में लाई जाती है। गार्डी
 बचल डी एडपलीग बहस सूनी गई गार्डी
 बचल के कतामा सि गार्डी न विजाधीगिग डे
 डेल सेरा-सेर भाके डुर है गार्डी न विजाधी-
 गग डे डेलों डी डीप कनी डुवनी कां व कुं
 भाधिके में विजए कांके हका बधात को
 पर गार्डी न विजाधीगिग डे डीप सेरां व
 कका-काल के लके डेलों पजां डी डीप
 विजए बहसा है लका कपके सेरां न सीनकां
 का सरी डीग वही से पा रहा है। इसाके
 गार्डी डे डीपकनी काकेत के लकी (कीका
 काकल डीपकनी डे काडेका डिका काके

अतः गार्डी डे प्राधिकेवका डे

गिडेग पर गार्डी का अरकीग-पग लकीका
 डिका काकल लहलीका गिडे के डीकेशग व
 वं. भाधिकेप गिरीसक का सहायक डीकेशग
 गिडेकल डिका काकल काडेका डिका काका है
 डि गार्डी डे डेल डी पदकी गेकनकी कोके
 पर डीकल गकाड।।का से, पाकग रिफोरे
 गार्डी को पा काकिल पेमबानु को, पजावती
 कोसल डीका रो, डी कम्कल से डी रो
 डीकिल डका है। विजएवका

11.2.2020

सहायक कलक्टर (S.A.)
बायतु

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्र/वाद/2020/ 25

दिनांक:- 11/02/2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

सोनाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट
निवासी पानादेवड़ा खारापार

लाधाराम पुत्र रूपाराम वगैरा
निवासी पानादेवड़ा खारापार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 350/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा पानादेवड़ा पटवार हल्का खारापार तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 119/25, 122/32 रकबा क्रमशः 14.12, 56.10 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/- जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 11/02/2020

क्रमांक/वाद/2020/ 26 + 30

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी खारापार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री सोनाराम पुत्र रूपाराम
4. विप्रार्थीगण लाधाराम पुत्र रूपाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

11.2.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु